

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/44/8-25 दिनांक :- 24 अप्रैल 2013

शुद्धि - पत्र

विभाग के आदेश संख्या 04/2013-14 क्रमांक 52-62 दिनांक 04.04.2013 के द्वारा पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांक 270/2012-13 दिनांक 30.01.2013 के क्रम संख्या 14 पर अंकित श्री जय प्रकाश कुमार सैनी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद सैनी का पदस्थापन कार्यालय प्रधानाचार्य पोलोटेक्निक कॉलेज झुंझुनू के स्थान पर कार्यालय नगर पालिका नवलगढ़ (झुंझुनू) (प्रतिनियुक्ति पर लेखाकार के रिक्त पद पर) में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

शेष शर्तें पूर्वआदेशानुसार यथावत रहेंगी।


निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/44/8-25 दिनांक :- 24 अप्रैल 2013
प्रतिलिपि:-

- 1 शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 आयुक्त, नगर पालिका, नवलगढ़ (झुंझुनू) को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये।
- 4 श्री जय प्रकाश कुमार सैनी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद सैनी, बावडी गेट आटा चक्की नवलगढ़ जिला झुंझुनू को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे 7 दिवस की अवधि में उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6 निजी सहायक, निदेशक
- 7 गोपनीय शाखा
- 8 रक्षित/निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)